



RESEARCH ARTICLE

एन.सी.एफ.टी.ई. 2009: शिक्षक शिक्षा का नवीनतम स्वरूप

राकेश कुमार जैन एवं बी.एल. जैन

शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं, नागौर

Email: rakeshjn81@gmail.com

Received: 24th April 2018, Revised: 20th May 2018, Accepted: 24th May 2018

सारांश

राष्ट्र अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर बल देता है। यद्यपि अध्यापक ही परिवर्तन लाते हैं, परन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के अध्यापक तैयार किये जा रहे हैं और किस प्रकार के किये जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) में कहा गया कि भारत का भाग्य उसके बंद कक्षा-कक्षों में निर्मित हो रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में इसी बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षक की स्थिति किसी समाज के आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को प्रकट करती है तथा कोई समाज इसके अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। एन.सी.टी.ई. द्वारा 2009 में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक-शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा शिक्षक-शिक्षा के संदर्भ में (एन.सी.एफ.टी.ई. 2009) निर्मित की है। एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 अध्यापक शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा के पारस्परिक सम्बन्धों पर तथा उनसे सम्बन्धित विविध पहलुओं पर जोर डालता है। फ्रेमवर्क में विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की नवीन प्रवृत्तियों एवं पहलुओं को शामिल किया गया है। समावेशी शिक्षा, सतत् एवं उचित विकास, लिंग आधारित परिप्रेक्ष्य, शिक्षा में सामुदायिक ज्ञान की भूमिका, सूचना तकनीकी एवं ई-लर्निंग आदि से सम्बन्धित विषयों को फ्रेमवर्क में केन्द्रीय स्थान प्रदान किया गया है। यह फ्रेमवर्क शिक्षक-शिक्षा का वर्तमान स्वरूप बदलने के लिए उद्देश्य के रूप में एक कल्पना है ताकि अध्यापक शिक्षा संस्थान न केवल अनुसंधान हेतु बल्कि पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में सुधार हेतु व्यावहारिक प्रयोग के लिए सक्रिय केन्द्र बन जाये। इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि यदि अध्यापक शिक्षा संस्थान सही तर्ज पर संगठित हो पाये तथा प्रगतिशील शैक्षिक आंदोलनों के गतिशील केन्द्र बन जाये तो शैक्षिक पुनर्निर्माण के सम्पूर्ण कार्य में अत्यधिक मदद मिल पायेगी

मुख्य शब्द: शिक्षक शिक्षा, शिक्षा, पाठ्यचर्या, समावेशी शिक्षा, एन.सी.एफ.टी.ई. 2009, ई-लर्निंग

प्रस्तावना

शिक्षा एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका न कोई आदि है न कोई अन्त। मानव जन्म से लेकर अपने अस्तित्व के धूमिल होने तक शिक्षारत रहता है, यदि कुछ बदलता है तो वह है शिक्षा का स्वरूप। भारत ऐतिहासिक रूप से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत में अध्यापक शिक्षा उतनी ही प्राचीन है जितनी की भारतीय शिक्षा। सामान्य शिक्षा व्यवस्था के साथ अध्यापक शिक्षा पूर्णतः संलग्न है। अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म शिक्षा के साथ ही 2500 भाताब्दी पूर्व हुआ। देश के बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा की भूमिका प्रमुख है और उत्तम शिक्षा के कार्यक्रम का नियोजन शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है।

शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता और कला की दक्षता पर उत्तम कोटि का शिक्षण अपेक्षित है और उत्तम कोटि के शिक्षण द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। आधुनिक परिस्थिति में जबकि शिक्षण की नवीन एवं प्रगतिशील विधियों की आवश्यकता है, शिक्षक का परम्परागत दृष्टिकोण शिक्षा की प्रगति के लिये बाधा उपस्थित करता है। इसे केवल प्रभावपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण एवं निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विगत वर्षों में हुए दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। इन आयामों ने प्रारम्भिक शिक्षा में प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसी दशा में देश को आने वाले वर्षों में सुयोग्य एवं पेशेवर प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग को पूरा करने की कठिन समस्या से निपटना होगा। दूसरी ओर गुणात्मक माध्यमिक शिक्षा की मांग भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। अधिक से अधिक दस वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण का लक्ष्य भी प्रस्तावित है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं और योग्य शिक्षकों की कमी के चलते माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता क्षीण हुई है, ऐसी दशा में माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन की अनिवार्यता और भी अधिक प्रबल हो जाती है। शिक्षक न केवल शिक्षण में ही दक्ष हो अपितु उसे अपने विद्यार्थियों, अभिभावकों व समुदाय की भी अच्छी समझ हो जिससे बालक विद्यालय में नियमित रूप से आकर पढ़ाई कर सकें। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अपना वजूद साबित करने के लिए शिक्षक-शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा समस्त प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने के लिए नवाचारों पर आधारित शिक्षण प्रक्रियाओं को अपनाने के प्रभावपूर्ण अवसरों की पर्याप्तता अनिवार्य कदम होगा।

शिक्षक-शिक्षा में तुरन्त व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। शिक्षक-शिक्षा में सभी मामलों में चाहे वह स्तर, अवधि अथवा स्वरूप हो। मूल प्रशिक्षण कार्यक्रमों व शिक्षकों के सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य स्थापित करना नितांत आवश्यक है। विषय की गंभीरता व जटिलता को देखते हुए शिक्षक-शिक्षा को वि विद्यालय स्तर का होना होगा तथा इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना होगा।

उद्देश्य

एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 में अध्यापक शिक्षा के नवीनतम स्वरूप का अध्ययन करना।

अध्यापक शिक्षा

अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो भावी शिक्षक को एक कुशल, योग्य एवं सफल शिक्षक बनने के लिए प्रदान की जाती है। अध्यापक शिक्षा वह है जिसके माध्यम से शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाकर मूल्यों पर आधारित शिक्षा के लिये अनुकूल परिवेश का निर्माण किया जाता है। इसी संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा एक शैक्षिक आयोजन है, जिसमें विभिन्न विषयों के अध्यापकों को विभिन्न विषयों-वस्तुओं सहित सामान्य व्यक्ति से पृथक एक प्रशिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षण के योग्य बनाया जाता है अध्यापक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया और तकनीकी है जिसमें शिक्षण कार्य के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और शैक्षिक कौशलों का विकास किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शिक्षक संघ की कॉन्फ्रेंस में भी इस आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि अच्छा अध्यापन अच्छे अध्यापकों पर ही निर्भर है। अतः अध्यापकों की गुणात्मक उन्नति करना प्रत्येक देश का लक्ष्य होना चाहिए।

एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 में अध्यापक शिक्षा का नवीनतम स्वरूप

एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 में अध्यापक शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा के पारस्परिक सम्बन्धों पर तथा उनसे सम्बन्धित विविध पहलुओं पर जोर डालता है। इस फ्रेमवर्क में विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की नवीन प्रवृत्तियों एवं पहलुओं को शामिल किया गया है। शिक्षक शिक्षा में आज के परिप्रेक्ष्य के विषयों समावेशी शिक्षा, सतत् एवं उचित विकास, लिंग आधारित परिप्रेक्ष्य, शिक्षा में सामुदायिक ज्ञान की भूमिका, सूचना तकनीकी व ई-लर्निंग, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यावसायिक दक्षता का विकास आदि विषयों को फ्रेमवर्क में केन्द्रीय स्थान प्रदान किया गया है। फ्रेमवर्क में बाल केन्द्रित शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों की अवधि को बढ़ाकर द्विवर्षीय करने का सुझाव प्रस्तुत किया है। द्विवर्षीय पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यचर्या के आधार भी प्रस्तुत किये हैं। फ्रेमवर्क में शिक्षक शिक्षा के प्रस्तावित पाठ्यक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षा के आधार, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र एवं विद्यालय इन्टरनशिप। प्रथम भाग शिक्षा के आधार के अन्तर्गत शिक्षार्थी अध्ययन, समकालीन अध्ययन एवं शैक्षिक अध्ययन विषयों को शामिल किया है। शिक्षार्थी अध्ययन के अन्तर्गत बचपन, बालक का सम्पूर्ण विकास एवं किशोर विकास का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है। समकालीन अध्ययन के अन्तर्गत शिक्षक व शिक्षार्थी की वर्तमान समाज में भूमिका एवं लैंगिक विकास का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। शैक्षिक अध्ययन के अन्तर्गत शिक्षा के लक्ष्य, ज्ञान एवं मूल्यों का अध्ययन एवं शिक्षक के रूप में स्वयं का एवं स्वयं की महत्वाकांक्षाओं के विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया है। पाठ्यक्रम क्षेत्र के द्वितीय भाग पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र के अन्तर्गत पाठ्यक्रम अध्ययन एवं शिक्षा-शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पाठ्य-पुस्तक निर्माण प्रक्रिया एवं विभिन्न विषयों के अन्तर्गत सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पक्ष का समन्वित रूप प्रस्तुत किया गया है। पाठ्यक्रम क्षेत्र के तृतीय भाग विद्यालय के इन्टरनशिप में एक समयबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके अन्तर्गत शिक्षण अभ्यास एवं विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन्टरनशिप कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थी विद्यालय परिस्थितियों, कक्षा-कक्ष परिस्थितियों, बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। एनसीएफटीई 2009 शिक्षक-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार की भी बात करता है। शिक्षक-प्रशिक्षकों की योग्यता मापदण्ड बढ़ाने की भी सिफारिश प्रस्तुत करता है। शिक्षक-प्रशिक्षकों हेतु समय-समय पर रिक्रेशर कोर्सेज आयोजित किए जाने की बात भी कहता है। शिक्षक-प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रमों में भी सुधार की बात करता है। शिक्षक-प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ाने का सुझाव भी प्रस्तुत करता है।

उपसंहार

एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 शिक्षक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में एक कल्पना है ताकि अध्यापक शिक्षा संस्थान न केवल अनुसंधान हेतु बल्कि पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में सुधार हेतु व्यावहारिक प्रयोगों के लिए सक्रिय केन्द्र बन जाएं। इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि यदि अध्यापक शिक्षा संस्थान सही तर्ज पर संगठित हो पाए तथा प्रगतिशील भौक्षिक आंदोलन के गतिशील केन्द्र बन जाए तो शैक्षिक पुनर्निर्माण के सम्पूर्ण कार्य में मदद मिल पायेगी।

संदर्भ

1. एन.सी.ई.आर.टी. (1978): टीचर एजुकेशन करीकुलम: ए फ्रेमवर्क, नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.।
2. भारत सरकार (1986): नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन।
3. एन.सी.टी.ई. (1998): करीकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली: एन.सी.टी.ई.।
4. भट्टाचार्य जे.सी. (2000): अध्यापक शिक्षा: अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
5. शर्मा आर.ए.: अध्यापक शिक्षा।
6. चौपड़ा आर.एल.: 'अध्यापक शिक्षा'।
7. श्रीवास्तव व मित्तल: आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ।
8. एन.सी.ई.आर.टी. (2005): राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005, नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.।
9. भारत सरकार (2009): शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009।
10. एन.सी.टी.ई. (2009): नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन: दुअईस ए ह्यूमन एण्ड प्रोफेशनल टीचर, नई दिल्ली: एन.सी.टी.ई.।